ज्ञान तत्व 361

मंथन कमांक 49 ग्रामीण और शहरी व्यवस्था

हजारों वर्षो से बुद्धिजीवियों तथा पूॅजीपतियों द्वारा श्रमशोषण के अलग अलग तरीके खोजे जाते रहे हैं। ऐसे तरीको में सबसे प्रमुख तरीका आरक्षण रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व आरक्षण सिर्फ सामाजिक व्यवस्था में था जो बाद में संवैधानिक व्यवस्था में हो गया। श्रमशोषण के उददेश्य से ही सम्पत्ति का भी महत्व बढाया गया। सम्पत्ति के साथ सुविधा तो थी ही किन्तु सम्मान भी जुड गया था। स्वतंत्रता के बाद पश्चिमी देशों की नकल करते हुये श्रमशोषण के लिए सस्ती उच्च तकनीक का एक नया तरीका खोज निकाला गया। वर्तमान समय में श्रमशोषण के माध्यम के रुप में सस्ती तकनीक का तरीका सबसे अधिक कारगार है।

श्रमशोषण के प्रयत्नों के परिणामस्वरुप अनेक विषमतायें बढती गई। इनमें आर्थिक असमानता तथा शिक्षा और ज्ञान के बीच की असमानता तो शामिल है ही किन्तु शहरी और ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक असमानता भी बहुत तेजी से बढती चली गई। शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढी तो गांव की आबादी लगभग वैसी ही है या बहुत मामूली बढी है। गांव के लोग छोड छोड कर शहरों की ओर पलायन कर रहे है। यदि पूरे भारत की विकास दर औसत छः मान लिया जाये तो गांवो का विकास एक प्रतिशत हो रहा है तो शहरों का प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत। यह विकास का फर्क और अधिक तेजी से शहरों की ओर पलायन को प्रेरित कर रहा है। यदि हम वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें तो ग्रामीण उद्योग करीब करीब समाप्त हो गये है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य सभी सूविधायें शहरों से शुरु होती है और धीरे धीरे इस तरह गांव तक पहुंचती है जिस तरह पुराने जमाने में बडे लोग भोजन करने के बाद गरीबों के लिए जुठन छोड देते थे। गांव के रोजगार में श्रम का मूल्य शहरों की तुलना में बहुत कम होता है। यहॉ तक कि सरकार द्वारा घोषित गरीबी रेखा में भी शहर और गांव के बीच भारी अंतर किया गया है। गांव के व्यक्ति की गरीबी रेखा का आकलन 28 रु प्रतिदिन है तो शहर का 32 रु प्रतिदिन हैं।

यदि हम सामाजिक जीवन के अच्छे बुरे की समीक्षा करें तो दोनों में बहुत अधिक अंतर है । गांव के लोग सुविधाओं के मामले में शहरी लोगों की तुलना में कई गुना अधिक पिछडे हुए है तो नैतिकता के मामले में गांव के लोग शहर वालों की अपेक्षा कई गुना आगे है। गांव के लोग शराबी अशिक्षित गरीब होते हुए भी सच बोलने, मानवता का व्यवहार करने या ईमानदारी के मामले में शहरों की तुलना में बहुत आगे है। शहरों के लोग गांव में जाकर उन पर दया करके कुछ मदद भी करते है तो उससे कई गुना अधिक उन बेचारों का शोषण भी करते है। गांव में शहरों की अपेक्षा परिवार व्यवस्था बहुत अधिक मजबूत है, शहरों में तलाक के जितने मामले होते है गांव में उससे बहुत कम होते है। धुतर्ता के मामले भी शहरों में अधिक माने जाते है। अपराध अथवा मुकदमें बाजी भी गांव मे कम होती है। सामाजिक जीवन भी शहरों की तुलना में गांव का बहुत अच्छा है। मैं स्वयं जिस गांवनुमा शहर में रहता हूॅ वहॉ अपने घर से दूर दूर तक के लोगों से प्रत्यक्ष भाई चारा का संबंध है। दूसरी ओर मैं पांच वर्ष दिल्ली में लक्ष्मीनगर में रहा। मेरे फ्लैट में और भी लोग रहते थे लेकिन किसी से मेरा परिचय नहीं हुआ। मेरे निवास से ठीक नीचे वाली मंजिल का मालिक मर गया और मुझे लाश उठ जाने के बाद पता चला। जबकि आने जाने की सीढी भी एक थी। गांव के संबंधो में प्राकृतिक व्यवहार होता है तो शहरी जीवन में व्यवहार बनावटी और औपचारिक हो जाता है।

इन सब अच्छाईयों बुराईयों के बाद भी शहर लगातार बढते जा रहे है। ऐसा दिखता है कि शहरों का जीवन नर्क सरीखा है। पर्यावरण प्रदूषित है। हवा भी साफ नहीं है फिर भी लोगों का पलायन जारी है क्योंकि शहर और गांव के बीच सुविधाओं के मामले में भी गांव कमजोर है तथा रोजगार के मामले में भी। होना तो यह चाहिये था कि शहरों की तुलना में गांव को कर मुक्त किया जाता तथा शहरों की अपेक्षा गांवो को कुछ अधिक सुविधायें दी जाती। यदि ऐसा न भी करना हो तो कम से कम गांव शहर को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा की छूट देनी चाहियें थी किन्तु पिछले 70 वर्षो में इसके ठीक विपरीत हुआ। गांव से होने वाले उत्पादन पर भारी टैक्स लगाकर उसका बडा भाग शहरों पर खर्च किया गया । वह भी इतनी चालाकी से कि गांव पर टैक्स भी अप्रत्यक्ष लगा और शहरों को सुविधा भी अप्रत्यक्ष दी गई। दूसरी ओर गांव को प्रत्यक्ष छूट दी गई और शहरों पर प्रत्यक्ष कर लगाया गया। ऐसा दिखता है जैसे गांव को मानवता के नाते जिंदा रखने की मजबूरी मानकर रखा जा रहा है तो शहरों को विश्व प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका मानकर, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। गांव सबकुछ उत्पादन कर रहे है और शहर सिर्फ उपभोग ।

शहरों की बढती आबादी एक विकराल समस्या का रुप लेती जा रही है। कई प्रकार के प्रयत्न हो रहे है किन्तु शहरों की आबादी बढती ही जा रही है क्योंकि समाधान करने वालो की नीयत साफ नहीं है। वे श्रमशोषण की पुरानी इच्छा में कोई सुधार करने को तैयार नहीं है और बिना सुधार किये समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। गांव से टैक्स वसूलकर शहरों पर खर्च होगा तो गांव के लोग शहरों की ओर जायेंगे ही। यह समस्या आर्थिक अधिक है सामाजिक कम और प्रशासनिक नगण्य है। इसका समाधान भी आर्थिक ही होगा। समाधान बहुत आसान है। सभी प्रकार के टैक्स समाप्त कर दिये जाये। सरकार स्वयं को सुरक्षा और न्याय तक सीमित कर ले और उस पर होने वाला सारा खर्च प्रत्येक व्यक्ति की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर एक दो प्रतिशत कर लगाकर व्यवस्था कर ले। अन्य सभी कार्य ग्राम सभा से लेकर केन्द्र सभा के बीच बट जावे । दूसरे कर के रुप में सम्पूर्ण कृत्रिम उर्जा का मूल्य लगभग ढाई गुना कर दिया जाये तथा उससे प्राप्त पूरी राशि देश भर की ग्राम और वार्ड सभाओं को उनकी आबादी के हिसाब से बराबर बराबर बांट दिया जाये। ग्राम सभाए आवश्यकता नुसार उपर की इकाईयो को दे सकती है। अनुमानित एक हजार की आबादी वाली ग्राम सभा को एक वर्ष मे ढाई करोड रूपया कृत्रिम उर्जा कर के रूप मे मिल सकेगा। इससे आवागमन महंगा हो जायेगा और आवागमन का महंगा होना ही ग्रामीण उद्योगों के विकास का बढा माध्यम बनेगा। गांवो का उत्पादित कच्चा माल शहरो की ओर जाता है और शहरो से वह उपभोक्ता वस्तु के रूप मे परिवर्तित होकर फिर उपभोग के लिये गांवो मे लौटता है। आवागमन मंहगा होने से गांवो का उत्पादन गांवो मे ही उपभोक्ता वस्तु के रूप मे परिवर्तित होने लगेगा। इससे गांवो का रोजगार बढेगा। कृत्रिम उर्जा मंहगी होने से शहरी जीवन महंगा हो जायेगा तथा का शहर के लोग गांवो की ओर पलायन करेंगे। गांव में श्रम की मांग और मूल्य बढ जायेगा। गांव में रोजगार के अवसर अधिक पैदा होंगे। कृत्रिम उर्जा की खपत घटने से पर्यावरण प्रदुषण भी घटेगा इससे विदेशी आयात भी घटेगा। अन्य अनेक प्रकार के लाभ भी संभावित है।

मैं स्पष्ट हूँ कि शहरी आबादी घटाने का सबसे अच्छा तरीका कृत्रिम उर्जा मूल्यवृद्धि ही है। हमारे देश के बुद्धिजीवियों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

मंथन का अगला विषय '' ज्ञान यज्ञ का महत्व और तरीका '' होगा।

मंथन क्रमांक 50
ज्ञान यज्ञ की महत्ता और पद्धति

कुछ सर्व स्वीकृत सिद्धान्त है।

1 दुनियां के प्रत्येक व्यक्ति मे भावना और बुद्धि का समिश्रण होता है। किन्तु किन्हीं भी दो व्यक्तियो मे बुद्धि और भावना का प्रतिशत समान नहीं होता।

2 प्रत्येक व्यक्ति पर भावना और बुद्धि का बिल्कुल अलग अलग प्रभाव होता है । भावना व्यक्ति को या तो शराफत की ओर ले जाती है अथवा मूर्खता की ओर। बुद्धि व्यक्ति को या तो ज्ञान की ओर ले जाती है या धूर्तता की ओर।

3 सारी दुनियां मे ज्ञान घट रहा है और शिक्षा बढ रही है।

4 सारी दुनियां मे भौतिक विकास तेज गति से हो रहा है और नैतिक पतन हो रहा है।

5 सम्पूर्ण भारत मे हिंसा और जालसाजी के प्रति विश्वास बढ रहा है।

6 हर धूर्त लगातार प्रयत्न करता है कि समाज मे भावनाओ का विस्तार होता रहे। आम लोग लोग भावना प्रधान बने रहे।

7 कोई भी व्यक्ति न तो पूरी तरह बुद्धिमान होता है न ही बुद्धिहीन । प्रत्येक व्यक्ति मे भावना या बुद्धि का समिश्रण होता ही है।

8 प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष लाभ पर अधिक विश्वास करता है परोक्ष लाभ पर कम।

यदि हम वर्तमान भारत की समीक्षा करें तो भारत मे भावना प्रधान लोगो का प्रतिशत भी बढ रहा है तथा बुद्धि प्रधान लोगो का भी। किन्तु ज्ञान घट रहा है । समझदार लोगो का प्रतिशत घट रहा है। बुद्धि और भावना का समन्वय कमजोर हो रहा है । या तो व्यक्ति अति शरीफ हो रहा है अथवा अति धूर्त जबकि भावना और बुद्धि का समन्वय आवश्यक है। जब बुद्धि और भावना के बीच दूरी निरंतर बढती रहे, शरीफ और धूर्त एक साथ इकठ्ठे

होने लगें, विचार मंथन की जगह विचार प्रसार को अधिक महत्व दिया जाने लगे, विपरीत विचारों के लोग एक साथ बैठकर विचारो का आदान प्रदान करने के लिये सहमत न हो तथा ज्ञान विस्तार के महत्वपूर्ण अंग परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था को योजना पूर्वक कमजोर करने का कुचक्र रचा जाये तो वह कालखंड आपातकाल माना जाना चाहिये। क्योकि ऐसे समय मे व्यक्ति के अंदर समझदारी घटने लगती है। ऐसे आपातकाल मे ही भगवान कृष्ण ने ज्ञान यज्ञ को महत्व पूर्ण समाधान के रूप मे प्रतिपादित किया। कृष्ण भारतीय इतिहास मे अकेले ऐसे महापुरूष हुए हैं जिन्होने ज्ञान यज्ञ के महत्व एंव स्वरूप को समाज के समक्ष रखा। उन्होने वह तरीका बताया जिसके आधार पर आपातकाल मे बुद्धि और भावना का समन्वय किया जाना आवश्यक है। स्वामी दयानंद अकेले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होने आर्य समाज के माध्यम से ज्ञान यज्ञ की प्रणाली विकसित की । आर्य समाज के किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभ मे एक यज्ञ होता है और यज्ञ की तुलना मे तीन गुना अधिक समय स्वतंत्र विचार मंथन पर लगाया जाता है। इन दोनो को मिलाकर ही आर्य समाज का साप्ताहिक यज्ञ पूरा होता है। यह परिपाटी लम्बे समय तक चलती रही और वर्तमान मे विकृत हो गई । अब विचार की जगह योजना बनने लगी । कुछ जगहो पर तो ऐसा विभाजन देखने को मिलता है कि आर्य समाज के सत्संग मे भावना प्रधान लोग यज्ञ के बाद उठकर चले जाते है तथा बुद्धि प्रधान लोग यज्ञ के बाद ही पहुंचते है। चर्चा भी स्वतंत्र विषयों पर नहीं होती। मैने खुब समझा और पाया कि आर्य समाज का दसवा नियम अधिकांश सामाजिक समस्याओ के समाधान का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। किन्तु आर्य समाज के किसी भी सत्संग मे उस नियम को मात्र औपचारिकता वश पढ दिया जाता है किन्तु चर्चा कभी नही होती। मेरा अपने पूरे जीवन का अनुभव यह रहा है कि ज्ञान प्रधान व्यक्ति इश्वर पर कम विश्वास करता है और भावना प्रधान व्यक्ति को इश्वर पर अधिकाधिक विश्वास की प्रेरणा देता है। यह तरीका भी ज्ञान यज्ञ के आधार से ही विकसित होता है। वर्तमान समय मे ज्ञान के अभाव मे धूर्त लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये इश्वर के अस्तित्व का उपयोग करते है। इसी का परिणाम होता है कि आशाराम, राम रहीम सरीखे आपराधिक प्रवृत्ति के धूर्त लोग करोडो शिष्य बनाने मे सफल हो जाते है।

मै दिल्ली मे पांच वर्ष रहा। राज सिंह जी आर्य के साथ मिलकर मैने सत्संगो मे भी स्वतंत्र विचार मंथन की प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया किन्तु न मै सफल हो सका न ही ब्रहमचारी राज सिंह जी । क्योकि सत्संगो मे ईश्वर और स्वामी दयानंद के गुणगान से आगे किसी सामाजिक पारिवारिक या अन्य विषय पर कोई चर्चा नही होती। मै अनुभव करता हूँ कि आर्य समाज मे भी इस रूढिवादी परम्परा का विस्तार हुआ है। आर्य समाज भी एक सामाजिक संस्था की जगह धार्मिक संगठन की दिशा मे बढकर क्षीण हो रहा है। ज्ञान विस्तार मे पारिवारिक वातावरण तथा सामाजिक परिवेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। ईश्वर का अदृश्य भय भी उसे अनुशासित रखता है। वर्तमान भारतीय परिवेश इन सबको अस्त ब्यस्त कर रहा है।

यदि मै स्वयं का आकलन करूं तो मै 62 वर्षो से आर्य समाज से जुडा रहा हूँ । 62 वर्षो तक हमारे शहर मे ज्ञान यज्ञ विधिवत होता रहा है । ज्ञान यज्ञ के परिणाम भी उस शहर तथा निकट के लोगो ने देखे हैं। स्पष्ट है कि ज्ञान यज्ञ से जुडे लोग किसी से भी आसानी से ठगे नही जाते क्योकि ऐसे लोगो के अंदर बुद्धि और भावना का समन्वय होकर समझदारी मे बदल जता है। उस शहर मे प्रत्येक माह मे एक बार आधे घंटे का धार्मिक आयोजन पूरा करके ढाई घंटे एक पूर्व निश्चित सामाजिक आर्थिक राजनैतिक या अन्य किसी भी निश्चित विषय पर स्वतंत्र विचार मंथन होता रहा है। कार्यक्रम के समय कोई निष्कर्ष निकालने पर कठोरता से प्रतिबंध है। यज्ञ मे कोई योजना नही बनाई जा सकती। प्रारंभ से ही यह माना गया कि यह ज्ञान यज्ञ बुद्धि और भावना के समिश्रण का व्यायाम मात्र है। यदि यह ज्ञान यज्ञ किसी मुसलमान के यहा आयोजित किया गया तो वहां आधे घंटे के भावनात्मक कुरान पाठ के बाद बौद्धिक चर्चा शुरू हुई। परिणाम बहुत सफल रहा और मै स्वयं अनुभव करता हूँ कि मै रामानुजगंज आर्य समाज और ज्ञान यज्ञ की ही देन हूँ।

पिछले एक वर्ष से मंथन कार्यक्रम के अंतर्गत वही प्रयास शुरू किया गया है। तीन सौ विषय हमारी कमेटी ने घोषित किये हैं । उनमें से किसी एक पूर्व घोषित विषय पर शनिवार को एक स्वतंत्र और विस्तृत समीक्षात्मक लेख लिखा जाता है। सात दिनो तक उस विषय पर फेसबुक वाट्सअप तथा बेवसाइट काश इंडिया डांट काम के माध्यम से प्रश्नोत्तर चलता रहता है। पंद्रह दिनो मे दो विषयो पर चर्चा होती है। वह ज्ञान तत्व पाक्षिक के माध्यम से पूरे देश भर मे महिने मे दो बार चली जाती है। हर महिने के प्रारंभिक रविवार को दिल्ली के कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास हाल मे बैठकर चारो विषयो पर छ घंटे का प्रत्यक्ष सवाल जबाब होता है। वहां आने वाले सबके भोजन और नास्ता सहित निवास कि भी व्यवस्था की जाती है। मै जानता हूँ कि अधिकांश लोग या तो स्वयं को अधिक बुद्धिमान

मानते है या व्यस्तता के कारण भी नही आ पाते । बडी संख्या मे ऐसे भी लोग है जो बौद्धिक व्यायाम को अनावश्यक या निरर्थक समझकर शामिल नही होते। फिर भी जिस तरह तीन महिने से आने वालो की संख्या बढ रही है उससे हमारी आयोजन समिति बहुत संतुष्ट है। मुझे तो और भी अधिक संतोष तब होगा जब ज्ञान यज्ञ मे सम्मिलित लोगो का ऐसा प्रतिशत बढ जायेगा जो किसी धूर्त से आसानी से ठगा न जाये। जो वर्तमान समय को आपात्काल समझकर यह महसूस करें कि शराफत को समझदारी मे बदले जाने का सबसे उपयुक्त समय यही है । जब कलियुग का अंतिम चरण और सतयुग के प्रारंभिक चरण का वर्तमान समय मध्यकाल है तो ऐसे कालखंड मे सभी समस्याओ का समाधान करने मे ज्ञान यज्ञ बहुत प्रमुख भूमिका निभा सकता है और निभा भी रहा हैं। मुझे विश्वास है कि अब ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम कलियुग के समापन कि दिशा मे निरंतर बढ सकेगे । आप सबकी इस यज्ञ मे आहुति आपके स्वयं, परिवार तथा समाज के लिये हितकर होगी।

मंथन कमांक 51

इस्लाम और भविष्य

कुछ सर्व स्वीकृत सिद्धान्त हैं।

1 हिन्दुत्व मे मुख्य प्रवृत्ति ब्राम्हण, इस्लाम मे क्षत्रिय, इसाइयत मे वैश्य, और साम्यवाद मे शूद्र के समान पाई जाती है।

2 यदि क्षत्रिय प्रवृत्ति अनियंत्रित हो जाये तो अन्य सबको गुलाम बना लेती है।

3 संगठन मे शक्ति होती है । संगठन बहुत बडी तीव्र गति से बढता है तथा उसी गति से व्यवस्था के लिये घातक होता है।

4 साम्यवाद तथा इस्लाम तानाशाही के पक्षधर होते है। इसाइयत और हिन्दुत्व लोकतंत्र के

5 साम्यवाद राज्य को सर्वोच्च मानता है तो इस्लाम धर्म को । दोनो ही समाज को सर्वोच्च नही मानते।

6 साम्यवाद दुनियां की सर्वाधिक खतरनाक विचार धारा है और इस्लाम सर्वाधिक खतरनाक संगठन।

7 इस्लाम किसी भी रूप मे धर्म न होकर संगठन मात्र है। इस्लाम के संगठित स्वरूप को धार्मिक दिशा देनी आवश्यक है।

8 मुसलमान व्यक्तिगत मामले मे बहुत विश्वसनीय होते है तथा संगठनात्मक स्वरूप मे बहुत अविश्वसनीय ।

9 जो धर्म वैचारिक धरातल पर दूसरे धर्मो से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता वह धर्म नहीं है, संगठन है। इस मामले में हिन्दुत्व सबसे उपर और इस्लाम सबसे कमजोर है।

इस्लाम का प्रारंभ ही शक्ति और संगठन के स्वरूप मे हुआ। परिणाम स्वरूप वह बहुत तेज गति से दुनिया पर मजबूत होता गया। आज सम्पूर्ण विश्व मे आबादी के रूप मे इस्लाम भले ही सबसे उपर न हो किन्तु ताकत के मामले मे इस्लाम दुनिया की किसी भी अन्य ताकत से अधिक शक्तिशाली है। इसी विस्तार वादी चरित्र के कारण आज इस्लाम सारी दुनियां के लिये समस्या भी बन गया है। आज पूरी दुनिया के देश इस्लाम से या तो सतर्क हैं या पिंड छुडाना चाहते हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहां यदि ये कमजोर भी हैं तो वहां शान्ति से रहें। जहां ये मजबूत है वहा किसी गैर मुसलमान को न्याय नही दे सकते और जहां कमजोर हैं वहां इन्हे न्याय चाहिये। इजराईल, भारत वर्मा आदि तो इनसे परेशान ही है किन्तु अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस आदि भी सावधान हैं तथा अब तो रूस और चीन भी इनसे मुक्त ही होना चाहते हैं।

सत्तर वर्षो तक भारत में मुसलमान अपने संगठित वोट बैक की ताकत पर सम्पूर्ण राजनैतिक व्यवस्था को ब्लैक मेल करता रहा। नेहरू वादी धर्म निरपेक्षता तथा साम्यवादी समर्थन के आधार पर इन्होने सत्तर वर्ष तक मनमाने तरीके से हिन्दुओ को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा। पिछले तीन चार वर्षो से स्थिति मे बदलाव आया। पहली बात तो यह है कि साम्यवाद का पतन हुआ। दूसरी बात यह है कि मुसलमान पूरी दुनिया मे धार्मिक मामले मे सर्वाधिक अविश्वसनीय हुए और तीसरी बात यह है कि भारत का हिन्दू भी अपने मूल चरित्र से हटकर संगठित होने लगा। गांधी वादी सर्वाधिक शरीफ माने जाते है। शरीफ व्यक्ति संकट काल मे मूर्खता करता ही है। गांधी हत्या का कभी भारत के हिन्दू बहुमत ने समर्थन नही किया। कोई हिन्दू ऐसा गलत कार्य कर भी नही सकता था न ही समर्थन कर सकता था। नाथूराम गोडसे की मूर्खता को आधार बनाकर वामपंथियो ने गांधी वादियो को ढाल

बनाया और गांधीवादी निरंतर साम्यवाद इस्लामिक गठजोड के सुरक्षा कवच बने रहे । अब गांधीवादियो में भी कुछ समझदारी दिखनी शुरू हुई है।

हिन्दुओ के आंशिक रूप से संगठित होते ही सारा परिदृष्य बदलने लगा। भारत में इस्लाम किंकर्तब्य विमूढ है कि वह अपना संगठित स्वरूप छोडकर धार्मिक दिशा की ओर मुडे या अब भी अगले चुनाव तक प्रतीक्षा करे। भारत का मुसलमान और राजनैतिक विपक्ष पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर हो गये हैं। मुसलमानो को कभी कभी तो लगता है कि अब हिन्दुओ की एक जुटता को तोडना असंभव है किन्तु ज्योंही उन्हे ऐसा लगता है त्योंही विपक्ष उन्हे आकर फिर से मजबूत करता है क्योकि विपक्ष के लिये भी मुसलमान जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ है। लगता है कि कही दोनो एक साथ न डूब जायें।

मेरे विचार से अब इस्लाम को अपनी सोच बदलनी होगी। या तो वह संगठित इस्लाम का मोह छोडकर धार्मिक इस्लाम की दिशा मे बढे या समाप्त होने की प्रतीक्षा करे। इस्लाम के वर्तमान स्वरूप के समापन की शुरूआत भारत से ही संभव है क्योकि भारत अकेला ऐसा देश है जहां का मुसलमान अब भी दुविधा मे है। कभी तो उसे दिखता है कि हिन्दू अधिक से अधिक एक जुट होता जा रहा है तो दूसरी ओर उसे यह भी दिखता है कि विपक्ष भी लगातार एक जुट होता जा रहा है। कभी तो उसे दिखता है कि नरेन्द्र मोदी बहुत ही चालाक हैं और उनसे पार पाना असंभव है तो कभी यह भी दिखता है कि संघ कोई न कोई ऐसी गंभीर गल्ती अवश्य करेगा जो पूरी बाजी पलट सकती है। मै तो इस विचार का हूँ कि मुसलमानो को अब पुराने सपने भूल जाने चाहिये और नई परिस्थितियों के साथ नई नीतियां बनानी चाहिये। यदि इस्लाम अपनी मनोवृत्ति न बदले तो मुसलमानो को व्यक्तिगत रूप से संशोधन की राह मे बढना चाहिये।

भारत का मुसलमान पूरी तरह संदेह के घेरे में है। अब तक भारत मे इस्लाम को कोई खतरा नहीं था तब तो वह सडको पर इस्लाम खतरे मे है का नारा लगाता था । अब तो वास्तव मे भेडिया आ गया है । अब इस्लाम पर आये संकट को सिर्फ भारतीय मुसलमान ही दूर कर सकता है। इस्लाम नहीं।

अब भी यदि वह न्याय, मानवता, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, जैसे भारी भरकम शब्दो की आड मे हिम्मत रख रहा है तो वह भ्रम मे है। उसे अब तो अपनी हिम्मत तोडने मे ही भलाई है। इन नेताओ या टीवी मे बहस कर रहे मुस्लिम धर्म गुरूओ का कोई चरित्र नहीं। इन्हे पाला बदलने मे एक मिनट भी नहीं लगता और आप अपने को अहसाय महसूस करेंगे। अब भारत का हिन्दू जनमानस इस समस्या को निपटा कर ही दम लेगा। आपके सामने दो ही मार्ग है। या तो आप संघ परिवार से टकराने की तैयारी करिये । विपक्ष आपका साथ देगा ही। इस टकराव मे जय पराजय दोनो हैं। इस संबंध ने आपको बहुसंख्यक हिन्दुओ से न्याय की आशा छोड देनी चाहिये। 2 आप स्वयं को घोषित करिये की मै अब भारत मे सहजीवन समान नागरिक संहिता धर्म परिवर्तन कराने पर प्रतिबंध पर विस्वास करता हूँ । आपको सरकार और समाज का पूरा पूरा संरक्षण मिलेगा। आपको तत्काल कुछ पहल करनी होगी।

1 आप धर्म की अपेक्षा समाज को सर्वोच्च घोषित करिये।

2 आपको जो काम कुरान ने रोक रखे है उन्हे करने के लिये समाज बाध्य नही कर सकता। जो काम कुरान अनुसार करना चाहिये वैसे कार्य काने से समाज नही रोक सकता। किन्तु जो कार्य आप का स्वैच्छिक है उस संबंध मे आप समाज का निर्णय मानेगे।

3 यदि भारत के किसी मुसलमान के साथ कोई अन्याय हो तो आप आवाज उठा सकते हैं किन्तु चेचन्या लेबनान इराक बर्मा रोहिल्या की चिंता छोडिये । किसी व्यक्ति या समूह को नागरिकता देना या समाप्त करना वहां की संवैधानिक व्यवस्था की स्वतंत्रता है, किसी का अधिकार नही। किसी मुसलमान को तो कभी ऐसी नागरिकता भरसक नही देनी चाहिये क्योकि इनका इतिहास बहुत खराब रहा है। ये कभी राष्ट्र का अधिकार नही मानते।
अपनी चिंता भारत तक सीमित कीजिये । वह भी इस्लाम की छोडकर न्याय की अधिक।

4 कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस संबंध मे पाकिस्तान गलत है। कश्मीर से धारा तीन सौ सत्तर समाप्त होनी चाहिये। ऐसी मांग करने मे आप निरंतर सकिय दिखें। इसमें कोई किन्तु परन्तु मत जोडिये।

5 मस्जिद मे शुकवार की दोपहर को नमाज के बाद यदि कोई संगठनात्मक चर्चा होती है तो या तो आप विरोध करिये या शुकवार की नमाज घर पर पढिये।

6 आप मदरसे का मोह छोड दीजिये। आप बच्चो को अन्य स्कूलो मे पढाइये या मदरसो को स्थानीय इकाई ग्राम सभा नगर पंचायत की व्यवस्था मे रख दीजिये।
7 किसी ऐसी मुसलमानो की बैठक मे मत जाइये जहां गुप्त बैठक है भले ही वह धार्मिक ही क्यो न हो।
8 आप एक स्पष्ट पहचान बनाइये कि आप औरो से भिन्न हैं। पहचान मे आप अपने नाम के आगे या पीछे राम शब्द जोड सकते है । कुछ लोग राष्ट्रीय मुस्लिम मंच या किसी अन्य संस्था से भी जुड सकते है। कुछ लोग आर्य समाज गायत्री परिवार मे सकिय हो सकते है। कुछ लोग रेड कास या अन्य सेवा कार्य से जुड सकते है। स्पष्ट दिखे कि आप औरो से भिन्न है।

इस संबंध मे मेरी हिन्दुओ को भी कुछ सलाह है। दुनियां मे इस्लाम एक बहुत बडी ताकत है। इसे हिन्दू मुसलमान के रूप मे न देखकर विश्व बिरादरी के साथ चलना उचित होगा। मुसलमानो में भी सुन्नी मुसलमान ही ज्यादा सकिय हैं। सब मुसलमानो को एक मत मानिये। शिया सुफी या अन्य अनेक मुस्लिम सम्प्रदाय टकराव से दूर हैं। सुन्नी लोगो मे भी देखिये कि कौन नरम हो सकता है। जो लेाग स्पष्ट रूप से समान नागरिक संहिता के पक्षधर हैं उनके साथ हमारा व्यवहार हिन्दू सरीखा ही होना चाहिये। किन्तु जो लोग अब भी विपक्ष पर निर्भर हैं या स्वयं टकराने के मूड मे हैं या प्रतीक्षा कर रहे है उनके साथ प्रशासन या संघ परिवार के लोग कुछ सोचते हैं तो ऐसे लोगो के न्याय अन्याय की चिंता तब तक नही करनी चाहिये जब तक मामला व्यक्तिगत न हो। हम आम हिन्दुओ को यह नही मानना चाहिये कि टकराव ही एक मात्र मार्ग है। हमारा उददेश्य इस्लाम से टकराना या निपटाना नहीं होना चाहिये बल्कि हमारा उददेश्य सत्तस वर्षो मे मुसलमानो का जो मनोबल ज्यादा बढा था उसे घटाने तक ही सीमित होना चाहिये। संघ परिवार भले ही दंड को एकमात्र मार्ग माने किन्तु हमे साम दाम दंड भेद सबका परिस्थिति अनुसार उपयोग करना चाहिये । हमे किसी भी रूप मे अपनी हिन्दुत्व की मूल अवधारणा के विपरीत नही जाना चाहिये। हिन्दुओ की संख्या विस्तार हमारा लक्ष्य न हो किन्तु इतनी सतर्कता अवश्य हो कि अब मुसलमान भी अपने संख्या विस्तार के प्रयत्न को छोड दें।

मुझे उम्मीद है कि भारत में हिन्दू मुस्लिम टकराव से अब भी बचा जा सकता है। इसमे जो साम्प्रदायिक हिन्दू मुसलमान टकराना ही चाहते है उन्ह कटने मरने दीजिये ।हम तो सिर्फ इतनी कोशिश करे कि इससे किसी शान्ति प्रिय हिन्दू मुसलमान को कोई कष्ट न हो । इसमे भारतीय मुसलमानो की पहल और हिन्दूओ का उस पहल का तहेदिल से स्वागत ही हम सबके लिये अच्छा मार्ग हो सकता हैं।
मंथन का अगला विषय'' राइट टू रिकाल होगा।

गौरी लंकेश की हत्या हमारे लिए कितनी चिंता का विषय

गौरी लंकेश कर्नाटक की तेज तर्रार पत्रकार रही है। पत्रकार के रुप में वे निष्पक्ष न होकर प्रतिबद्ध विचारों से जुडी हुई थी। वे देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सूचना न देकर शिकायत करने की अभ्यस्त थी। लगता है कि किसी प्रतिबद्ध संगठन से प्रेरित हत्यारे ने उनकी हत्या की। यह भी संभव है कि उनकी शिकायतों से प्रभावित व्यक्ति हत्या में शामिल रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि वे विचार प्रस्तुति की सीमा में न रहकर विचार प्रचार के साथ भी जुडी हुई थी। विचार प्रचार की प्रतिद्वंदिता भी हत्या का कारण हो सकती है।

हम मान लें कि गौरी लंकेश एक पत्रकार थी। आज आमतौर पर देखा जा रहा है कि भारत का पत्रकार संगठन बनाकर विशेषाधिकार प्राप्त करने की छीनाझपटी में लगा हुआ है। उन्होनें तो स्वयं को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तक कहना और प्रचारित करना शुरु कर दिया है। प्रश्न उठता है कि जो समूह समानता के अधिकार से आगे जाकर विशेषाधिकार प्राप्त करने की छीनाझपटी में लगा हो उसकी यदि हत्या हो जाये तो समाज को इसके लिए दुखी क्यों होना चाहिए। पत्रकार विरादरी यदि दुख व्यक्त करें तो यह मान्य हो सकता है किन्तु पत्रकार समाज के लिए कोई विशेष कार्य नहीं कर रहा जिसके कारण समाज विशेष रुप से दुखी हो।

मैं एनडी टीबी और विशेषकर रविश कुमार को नियमित देखता, सुनता रहा हूँ। पिछले एक दो वर्षों से मुझे उनका व्यवहार और विचार एक पक्ष में झुकता हुआ दिखा। अब मुझे किसी घटना की सच्चाई जानने के लिए दो असत्य प्रचारकों का सहारा लेकर बीच का यथार्थ खोजना पडता है। जी टीबी और एनडी टीबी को एक साथ देखना मेरी मजबूरी है। कल रविश कुमार ने अपनी धमकी की बात कहकर अपना स्तर घटाया है क्योंकि वर्तमान भारत में निष्पक्ष पत्रकारिता को धमकी मिलने का वातावरण अब तक नहीं बना है। भविष्य में बनेगा तब देखा जायेगा। यदि

कोई पत्रकार स्वयं को खतरे में महसूस करता है तो मुझे लगता है कि उसे किसी विपरीत प्रतिबद्ध विचारधारा से खतरा रहा होगा। प्रश्न स्पष्ट है कि ऐसे प्रतिबद्ध लोग आपस में मरें कटें तो समाज उनके लिए विशेष चिंतित क्यों हो। यही कारण है कि मैं पत्रकार होते हुए भी गौरी लंकेश की हत्या से किसी भी रुप में प्रभावित नहीं हुआ।

पत्रोत्तर

1 रामकृपा, बैंक कालोनी, नाका मदार, अजमेर, राजस्थान

प्रश्नः– एक मित्र का व्यक्तिगत पत्र

पत्र.. ज्ञानतत्व के अंक 358 के संदर्भ में चर्चा करने पर कुछ आत्मीयता बरबस जाग उठी। अतः यह व्यक्तिगत पत्र लिख रहा हूं।

मैं आपके साथ कब से जुडा हूँ यह बताने की आवश्यकता नहीं। किन्तु आपके प्रति शुरु से स्नेह भाव उत्पन्न हो गया था। मुख्य कारण तो जातिवाद कह सकता हूँ। मैं इनमें विश्वास रखता हूँ, हार कर भी। मैंने 1985 में अग्रवाल समाज की नींव रकखी थी या कि नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी। मैं उससे संतुष्ट नहीं हो सका किन्तु आपके सम्पर्क में आने के बाद मुझे लगा कि आप सरीखा अग्रवाल नहीं मिल सकता। इसी दृष्टिकोण से आपको आपके प्रयासों से जो हानि देखने में आती थी और जिससे बचा जा सकता है या बचना चाहिये वह मैं अवगत कराए बिना न रह सका । इस विचार को भी आप उपेक्षा भाव से ही लें तो बेहतर।

आप स्वस्थ हैं यह मेरे लिये अति प्रसन्नता की बात हैं। जहॉ तक मेरा प्रश्न है, मैं गत 30 वर्ष से मधुमेह से पीडित हूँ। आयु के 86 वें पायदान पर हूँ। अनेक रोग लगे हैं यथा हरनिया, पीरुथ गंथि, श्रवण शक्ति का ह्रास आदि। कुछ दिन से घुटने का दर्द शुरु हो गया है। कुछ पारिवारिक कठिनाईयां भी होती ही हैं।

अंक 356 में आपके व्यक्त विचारों के विषय में मेरा अपना दृष्टिकोण यह बताने का प्रयास था कि देशहित को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण से ऐसे विचारों को विराम देना संगत होगा जिनसे देश विरोधी मानसिकता को दिशा या कि बल मिलने का कारण या कि सम्भावना बनती दिखे।

देश में हिन्दू मुस्लिम समस्या के बारें में कुछ तथ्य और विचार इस प्रकार हैं– देश पर विदेशी आक्रमण एक हजार साल राज्य किया। मुगलों मुसलमानों ने लगभग 500 साल राज्य किया अन्य के साथ अंग्रेजों ने 200 साल राज्य किया। मुगलों और अंग्रेजों की शासन प्रणाली में अंतर था । इस बात के होते हुए भी कि आततायी इनकें शासन में भी हुए। धर्म परिवर्तन में मुसलमानों ने जो अत्याचारी रास्ते अपनाए किश्चियनों के उससे कम थे और भिन्न थे। मुगल शासन में अकबर ने हिन्दू होने की बडी कोशिश की मगर उसे साफ समझा दिया गया था कि ऐसा कभी संभव नहीं है। मुसलमान यहॉ बस गए अंग्रेज यहॉ नहीं बसे। प्रगति के कारण भारतीयों का रुझान अंगेजों के प्रति तो रहा किन्तु मुसलमानों के प्रति नहीं रहा। जबकि मुसलमानों में अनेक ऐसे हुए जो सभ्यता संस्कृति की दृष्टि से हिन्दुत्व के बहुत निकट थे जैसे रहीम ,अब्दुल रहीम खानखाना आदि। आज तो हिन्दुत्ववादी मुसलमानों की बडी तादाद है। चूँकि मुसलमान यहॉ बस गए और उनमें से बहुतों में हिन्दुत्व जागा और यह वर्ग शासक भी रहा, इन सब तथ्यों के मददे नजर इस वर्ग को अपनाने के अलावा कोई चारा दिखाई नहीं पडता और यह संभव भी दिखाई नहीं देता। इस दिशा में आर्य समाज ने बहुत कोशिश की , किन्तु सफलता नहीं मिली। इसका दोष सनातन धर्म पर ही जाता है। स्थिति यहॉ तक बिगड चुकी है कि जैन कटटर जैन है, हिन्दू नहीं, तो सिक्खों को भी हिन्दू से अलग माना जाने लगा है।

इस विघटनकारी परिवेश में हिन्दुओं ने उदारता का दरवाजा नहीं खोला तो खता खा सकते है।

मेरी जानकारी में जो प्रकरण आये है उनके उदाहरण प्रस्तुत है– 1 इंदिरा सरकार में विदेश मंत्री रहे कु0 नटवरसिंह के परिवार में मुसलमान बहुए थी किन्तु परिणाम घातक निकले। अजमेर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने शेख अब्दुल्ला की बेटी से विवाह किया। प्रथमतः उनके विवाह में किसी ओर से कोई सम्मिलित नहीं हुआ और अनेक वर्ष बाद अब तलाक हो गया बताया जाता है । मेरे निकट के एक संबंधी ने मुस्लिम महिला को अपनाया हुआ है। आज उनकी क्या स्थिति है, ज्ञात नहीं है। तब भी ये मार्गदर्शन प्रकरण तो हो सकते है, समस्या के उपाय की शुरुवात भी नहीं कहीं जा सकती।

उत्तरः– आप मुझे अग्रवाल मानते रहे यह आपका भ्रम था। मैं अग्रवाल परिवार में जन्म लिया किन्तु बचपन से ही मुझे समाज ने ब्राम्हण घोषित कर दिया और मैं अब तक स्वयं को वैसा ही मानता रहा हूँ। हमारे शहर में मुख्य रुप से दो ही अग्रवाल परिवार थे और दोनों के बीच भारी दुश्मनी रहती थी। मैंने व्यक्तिगत रुचि लेकर उस दुश्मनी को समाप्त कराया। इतने बडे शहर की आबादी में आधे प्रतिशत से भी कम आबादी अग्रवालों की है लेकिन सम्मान के मामले में

अग्रवालों को विशेष महत्व प्राप्त है। मुझे भी घोषित रुप से आमलोग अग्रवाल ही मानते है। आप विचार करिये कि अग्रवालों को अलग संगठन क्यों बनाना चाहिए। क्यों नहीं सब लोग मिलकर एक साथ रहें। मैं मानता हूँ कि अग्रवालों के पास पैसा अधिक है किन्तु पैसे की अधिकता ही उन्हें उडीसा प्रदेश से भागने में सुरक्षा नहीं दे सकी। मैं स्पष्ट देख रहा था कि चोरी डकैती, गुण्डागर्दी , और हिंसा लगातार बढ रही है। यह समस्या सबकी साझी समस्या है यदि अपराधी तत्व जाति धर्म का भेद भूलकर इकटठे डाका डाल सकते है, केस लडकर छूट सकते है तो हम इकटठे क्यों नहीं हो सकते। अच्छा हो कि हम अपने रीतिरिवाजों तक भले ही अग्रवाल रहें किन्तु सामाजिक मामलों में हमें अलग संगठन बनाने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए।

मैंनें आपसे कई बार बहुत कटु विचारों का आदान प्रदान किया है क्योंकि मैं आपको हमेशा एक स्वतंत्र समीक्षक के रुप में देखता रहा। मेरा स्वभाव है कि मैं विरोधी के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता और स्वतंत्र आलोचक के प्रश्नों का उत्तर अवश्य देता हूँ। आप 86 वर्ष की उम्र में है, मैं तो अभी सिर्फ 78 का ही हूँ।

मैंने पारिवारिक मामलों में प्रारंभ से ही एक नया प्रयोग किया। परिवार की सम्पत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का बराबर हिस्सा होगा किन्तु परिवार में रहते तक किसी की सम्पत्ति व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होगी। मैंने यह भी नियम बनाया कि परिवार में दो पद होंगे– (1) परिवार प्रमुख (2) मुखिया। परिवार प्रमुख सबसे बडी उम्र का व्यक्ति होगा चाहे महिला हो या पुरुष। मुखिया परिवार द्वारा निर्वाचित होगा। इसका अर्थ हुआ कि प्रमुख की भूमिका राष्ट्रपति तक सीमित होगी। इसका अर्थ हुआ परिवार प्रमुख या अन्य वृद्ध सदस्य सिर्फ सम्मान और सुविधा तक सीमित होंगे। परिवार संचालन में उनकी भूमिका शून्य होगी। इस सीमा के टूटने के कारण परिवारों में कठिनाईयां आती है। मेरे परिवार में वह कठिनाई न आई, न आने की संभावना है।

आपने हिन्दू मुस्लिम समस्या पर कुछ लिखा। मैंने भी अपने पूरे जीवन में इस विषय पर बहुत प्रयोग किया। हमारे शहर के लोग बिना हिन्दू मुसलमान का भेद किये मुझ पर पूरा विश्वास करते थे। मैंने अपने शहर में कई नियम बनवाये उनमें दो नियम हिन्दू मुसलमान से जुडे हुए थे– (1) किसी भी धर्म के लोग दूसरे धर्म के घोषित दो लोगों को सूचना देकर ही तथा उन्हें 15 फूट दूर बैठाकर कार्यवाही सुनने देखने की छूट देकर ही कहीं इकट्ठा हो सकते हैं। (2) किसी एक धर्म के लडके ने किसी दूसरे धर्म की लडकी को पत्नी बनाकर रखना चाहा तो लडके का धर्म बदल जायेगा। पहले नियम का भी मुसलमानों ने अक्षरशः पालन किया और जब रामानुजगंज से बाहर के संघ वालो ने विरोध किया तो मजबूर होकर रामानुजगंज में 3 वर्ष के लिए संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरे नियम के अन्तर्गत सबने मिलकर तीन मुसलमानों को हिन्दू बना लिया और वे पूरी तरह बन भी गये किन्तु हिन्दू समाज उन्हें पचा नहीं पाया। परिणामस्वरुप 5– 10 वर्षों के बाद उनकी पीढी मुसलमान हो गई । मेरे विचार से गंभीरतापूर्वक इस बात पर विचार करने की जरुरत है कि मुस्लिम साम्प्रदायिकता पर अंकुश के लिए धर्म परिवर्तन की छूट दी जाये या प्रतिबंध लगे। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि मैं घर वापसी के नाम पर मुसलमानों के शुद्धिकरण का समर्थन करु और यदि मुसलमान किसी हिन्दू को मुसलमान बना ले तो उसका विरोध करुँ। मेरे विचार से इस समस्या का समाधान उस नियम को लागू कराने में है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना जायेगा। यदि कोई धर्म बदलना चाहता है तो उसे एक राजनैतिक प्रशासनिक या सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत धर्म परिवर्तन की अनुमति लेनी होगी। इसी तरह मैं समान नागरिक संहिता को भी एक अच्छा समाधान मानता हूँ किन्तु मैं उस समान नागरिक संहिता का पक्षधर नहीं जैसा संघ परिवार चाहता है। संघ परिवार के अनुसार जो प्रतिबंध हिन्दुओं पर है वह प्रतिबंध मुसलमानों पर भी लागू हो । मैं चाहता हूँ कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को हर मामले में समान स्वतंत्रता हो। व्यक्ति एक इकाई हो, भारत धर्मो और जातियों का संघ न बने, कानून की नजर में कोई हिन्दू मुसलमान गरीब अमीर ,आदिवासी गैर आदिवासी, महिला पुरुष के रुप में न होकर व्यक्ति के रुप तक सीमित हो ।

मैं अब बारह वर्षो से रामानुजगंज में नहीं रहता फिर भी मैं संतुष्ट हूँ कि अन्य स्थानों की तुलना में रामानुजगंज का वातावरण कई गुना अच्छा है। रामानुजगंज, विहार और उत्तर प्रदेश के ठीक बार्डर पर है। फिर भी यहॉ अपराध नियंत्रित है। नक्सलवाद सन् 2000 में आया और 5 वर्ष बाद हार मानकर वापस चला गया। मुसलमानों की आबादी बारह तेरह प्रतिशत है किन्तु साम्प्रदायिकता शून्य है। मुख्य फर्क यह है कि हम लोगों ने रामानुजगंज में समाज को मजबूत किया तो दूसरे जगह के लोगों ने धर्म को मजबूत किया। कोई भी कभी भी रामानुजगंज की व्यवस्था को देख सकता है। मैंने अपने विचार लिखे है आपकी टिप्पणी का इंतेजार रहेगा।

मंथन(बौद्धिक विकास प्रशिक्षण) का मासिक सम्मेलन सम्पन्न

दिनांक 3.9.17 को कौशाम्बी जिला गाजियाबाद उ0प्र0 के हॉल में मंथन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक चला। कार्यक्रम में 5 विषयों पर अलग अलग चर्चा हुई।

1 शिक्षा व्यवस्था ।

2 ग्रामीण और शहरी व्यवस्था।

3 मिलावट कितना अपराध कितना अनैतिक।

4 लिव इन रिलेशनशिप और विवाह पद्धति।

5 राम रहीम की घटना कितना बलात्कार कितना व्यभिचार।

कार्यक्रम का प्रारंभ ग्लोग के माल्यापर्ण तथा स्वराज्य प्रार्थना से शुरु हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुरेश भाई सर्वोदयी तथा आचार्य पंकज जी ने माल्यापर्ण किया। प्रत्येक विषय पर लगभग एक से डेढ घंटे तक अलग अलग चर्चा हुई। प्रत्येक विषय पर बजरंग मुनि जी ने विषय की सक्षिप्त रुप रेखा रखी तथा उसके बाद खुली चर्चा सम्पन्न हुई।

शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करते हुये मुनि जी ने ज्ञान और शिक्षा का अंतर बताया तथा यह भी संकट बताया कि पूरे भारत में ज्ञान घट रहा है और शिक्षा बढ रही है। शिक्षा को ही उन्नति का मुख्य आधार मान लिया गया है जो गलत है। सरकार को शिक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, न ही अपने स्कूल चलाने चाहिये। इस विषय पर रामवीर जी श्रेष्ठ ने भी अपने विचार रखते हुये कहा कि प्राईमरी से बारहवी तक की सारी शिक्षा को पूरी तरह सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कर देना चाहिये। सरकार सिर्फ पारदर्शी परीक्षा प्रणाली विकसित करे और बारहवी की परीक्षा लेकर सर्टिफिकेट दे। अन्य लोगों ने भी पक्ष विपक्ष में विचार रखें।

दूसरा विषय ग्रामीण और शहरी व्यवस्था पर मुनि जी ने स्पष्ट किया कि गांव का कमजोर होकर शहरों का विकास बहुत विकराल समस्या के रुप में सामने आ रहा है। लघु उद्योग बंद होकर मशीनी उद्योग में बदल रहे है। हमें किसी न किसी रुप में शहरों और गांव की आबादी का संतुलन बनाना आवश्यक है। कई श्रोताओं ने इस पर प्रश्न भी किये जिसके उत्तर में मुनि जी ने यह बताया कि सारी आर्थिक समस्याओं का एकमात्र समाधान कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्यवृद्धि ही है। शहर गांव की समस्या भी आर्थिक मुख्य है। यदि कृत्रिम उर्जा की भारी मुल्य वृद्धि कर दी जाये तो अपने आप शहरों की कुछ आबादी गांव की ओर पलायन कर लेगी। बैठक में अधिकांश लोग दिल्ली के थे और उन्होंने इस सुझाव का भरसक विरोध किया।

तीसरा विषय मिलावट से संबंधित था। मुनि जी ने मिलावट और मिश्रण का अंतर समझाने का प्रयास किया। इसके अनुसार जिस मिलावट में मिलावट कर्ता का उददेश्य किसी रुप में धोखा देना या ठगना नहीं है वह अपराध नहीं माना जाना चाहिये। मुनि जी ने धर्मग्रंथो में मिलावट तथा इतिहास में मिलावट को ज्यादा गंभीर समस्या बताया। अन्य श्रोताओं ने भी मिलावट की गंभीरता को समझा और महसूस किया कि इस विषय पर सरकार को और अधिक गंभीर होना चाहिये।

चौथा विषय विवाह या रिलेशनशिप से जुडा था। मुनि जी ने एक को तो सेक्स को एक प्राकृतिक भूख बताकर उसमें किसी प्रकार की कानूनी या सामाजिक रुकावट को तब तक अनावश्यक हस्तक्षेप बताया जब तक कोई बलप्रयोग न हो। दूसरी ओर उन्होंने उन्मुक्त शारीरिक संबंध को समाज नियंत्रित करने की बडी आवश्यकता भी बतायी। उनके अनुसार विवाह पद्धति एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था है। लिव इन रिलेशनशिप एक असामाजिक व्यवस्था है जिसे रोका तो नहीं जा सका किन्तु आदर्श भी नहीं कहा जा सकता। मुनि जी ने प्रेम विवाह को भी ऐसी ही असामाजिक प्रणाली के रुप में माना। जिसे रोका नहीं जा सकता किन्तु प्रोत्साहित भी नहीं करना चाहिये। विषय बहुत गंभीर था । उपस्थित महिलाओं ने भी इस विषय में खुलकर अपने विचार रखे तथा प्रश्नोत्तर भी रखे। लगभग सब लोग इस बात से सहमत थे कि विवाह प्रणाली को अधिक प्रोत्साहित करते हुये लिव इन रिलेशनशिप या प्रेम विवाह को निरुत्साहित करना चाहिए।

पांचवा विषय तात्कालिक था। जो रामरहीम के बलात्कार प्रकरण से जुडा था । मुनि जी ने कहा कि आश्रमों में लगभग बलात्कार कहीं नहीं होता और व्यभिचार आमतौर पर होता है। उन्होनें पुराने उदाहरण देकर भी यह बताने का प्रयास किया कि यह व्यवस्था कुछ सामाजिक नियमों के अन्तर्गत आश्रमों में चलती रही है। प्राचीन समय में तो

नियोग प्रथा को भी आदर्श माना गया है। किन्तु उनके अनुसार आश्रमों में व्यभिचार अपराध न होते हुये भी एक असामाजिक कार्य है जिससे बचना चाहिये। रामरहीम की चर्चा करते हुये उन्होनें स्पष्ट किया कि बलात्कार या व्यभिचार की तुलना में आश्रमों में बलप्रयोग तथा हिंसा की बढती घटनायें अधिक चिंताजनक है। सरकार को भी इन मामलों में अधिक कठोरता का व्यवहार करना चाहिये। इस संबंध में जो चर्चा हुई उसमें श्रोता एकमत नहीं थे। कुछ लोग रामरहीम के व्यवहार को बलात्कार ही मान रहे थे तो कुछ अन्य लोग उसे व्यभिचार तक सीमित कर रहे थे।

इस स्वतंत्र चर्चा में करीब पचास लोग शामिल हुये जिनमें श्रीमती सोनम पारीक राजस्थान, लायक राम कुशवाहा संभल उ0प्र0, अशोक कुमार लोहेला, मेरठ, वीरा स्वामी ,तेलंगाना, प्रियंका द्विवेदी दिल्ली, श्री जयकुमार दिल्ली , पुनीत मल्होत्रा दिल्ली, राहुल चौहान नोयडा, हरिश बहुगुणा रोहिणी दिल्ली, अनुभव स्वामी शामली अनुभव स्वामी उ0प्र0, जयंतनाथ कर्नाटक, अनुज शर्मा तिलक नगर दिल्ली, प्रमुख लोग थे। आयोजक प्रमोद केशरी ने घोषणा की कि मंथन का अगला कार्यक्रम उसी स्थान पर 1 अक्टूबर को 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। आयोजन समिति की ओर से सुबह शाम का नास्ता और दोपहर के भोजन के अतिरिक्त बाहर के आये हुये सहभागियों के निवास की भी व्यवस्था की गई थी।

उत्तरार्ध

पांच सितम्बर से पूरे भारत मे ग्राम संसद अभियान मे सकिय जिला तथा ब्लाक के सदस्यो एवं पदाधिकारियों की कमेटी बनाने का अभियान शुरू किया गया है। लक्ष्य है कि एक वर्ष मे पूरे भारत के अधिकांश जिलो तथा कम से कम एक चौथाई विकाश खंडो या शहरो तक समितियां बन जाये। अब तक इस माह मे हुई प्रगति इस प्रकार है। अब तक व्यवस्थापक (ग्राम संसद अभियान) जिला कमेटी पौडी गढवाल उत्तराखण्ड, जिला कमेटी देहरादून उत्तराखण्ड, ब्लाक कमेटी सरधना कमेटी जिला– मेरठ, उत्तर प्रदेश, ब्लाक बलियाखेडी कमेटी जिला– सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, ब्लाक रजपुरा कमेटी जिला– मेरठ, उत्तर प्रदेश, ब्लाक सरूरपुर कमेटी जिला– मेरठ, उत्तर प्रदेश, ब्लाक दौराला कमेटी जिला– मेरठ, उत्तर प्रदेश बनी है। इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश के उन्नीस जिला प्रमुखो के भी नाम प्राप्त हुए है।